

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

—:—

क्रमांक ⁷⁶ /आर 1604/चार/ब-1/2011 भोपाल, दिनांक 18 /1/2012
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
मध्य प्रदेश ।

विषय: कय पर प्रतिबंध वर्ष 2011-12।

संदर्भ: इस विभाग के ज्ञाप क्र० 1598/आर 1604/चार/ब-1/11, दिनांक 27.12.2011

—:—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

(सात) विभागों की आयोजना मदों में प्रावधानित राशि से संबंधित कय इस प्रतिबंध से शिथिल रहेंगी तथा भण्डार कय नियमों का पालन करना संबंधित विभागों का उत्तरदायित्व होगा।

उपरोक्त निर्देशों में किसी प्रकार का शिथिलीकरण केवल वित्त विभाग की अनुमति से ही किया जा सकेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अमित राठौर)

संचालक बजट

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ० क्र० ⁷⁷ /आर 1604/चार/ब-1/2011 भोपाल, दिनांक 18 /1/2012
प्रतिलिपि:-

- 1- महालेखाकार मध्यप्रदेश, (लेखा/आडिट) ग्वालियर, भोपाल की ओर 50 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
- 2- आयुक्त, कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश भोपाल की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार समस्त कोषालय एवं उप कोषालय को सूचित करने का कष्ट करें।
- 3- वित्त विभाग की समस्त बजट शाखाओं/ बजट अधिकारियों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। साथ ही विभिन्न विभागों से प्रतिबंध से छूट संबंधी प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण संबंधित बजट शाखाओं द्वारा प्रकरण के गुण दोषों के आधार पर कर उपयुक्त निर्णय लिया जाय।
- 4- गार्ड फाइल ।

(वीरेन्द्र कुमार)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग